(vii) Emphasis on preparation of realistic project implementation plan.

(viii) Review by the Committee of Secretaries of the specific projects facing constraints.

Land Racket in Varanasi

1325. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Wherher a land racket has been unearthed in Varanasi, Uttar Pradesh recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) Land is a State subject. According to the information furnished by Govt. of U.P., District Magistrate, Varanasi, an area measuring about 439.69 Acre at Varanasi had been notified in 1972 by the U.P. Avas Evam Vikas Parishad for its Tulsipur Grih-Sthan Yojna. Paper possession of 281.95 Acre was handed over to the Avas Evam Vikas Parishad but the land owners did not allow the Board to develop this land. The land, which was recorded earlier in the Board's name, was illegally allowed to be sold/mutated in the name of some Co-operative Societies & Colonisers. This to has been reportedly done in connivance with the staff of Sub-Registrar's Office, revenue department, Development Authorities, Municipal Corporation, Urban ceiling and local tehsil.

(c) The matter is being investigated by State Govt.

मध्य प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई भूमि

1326. **श्री दिलीप सिंह जदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलेवार और वर्ष-वार कुल कितनी भूमि को शामिल किया गया;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में आरम्भ की गई योजनाओं का आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) राज्य में आज तक जिले-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा:) (क) 1993.94, 1994-95 एवं 1995-96 के विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या एवं क्षेत्र का जिलेवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) 1994-95 तक भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास तथा वनरोपण एवं चरागाह विकास के तीन मुख्य क्षेत्रों पर बल देते हुए सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। 1995-96 से आगे इस कार्यक्रम को वाटरशेड परियोजना के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 हेक्टेयर के प्रत्येक वाटरशेड परियोजना की तकरीबन चार वर्षों की अवधि में विकसित किया जाना है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान 1994-95 तक मध्य प्रदेश सहित राज्यों के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। परन्तु 1995-96 से राज्य में 823 वाटरशेड परियोजनाओं को विकसित किया जाना है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान 1994-95 तक तीन मुख्य क्षेत्रों के वित्तीय निष्पादन एवं भौतिक उपलब्धियों तथा 1995-96 के दौरान शुरू की गयी वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या एवं उसके अंतर्गत हासिल हुई वित्तीय उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण 1

मध्य प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या एवं क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा

वर्ष	1993-94	एवं 1994-95
जिले का नाम	ब्लाकों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)
1. बेतल	8	5643
2. धार	8	4981
3. झाबुआ	12	6791
4. खरगोन	7	4327
5. सीधी	8	10350
6. शहडोल	6	8858
कुल	49	40950

वर्ष 1995-96		
जिले का नाम	ब्लाकों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)
1. बेतल	10	7071
2. भिंड	1	406
3. बस्तर	12	9867
4. बिलासपुर	9	6458
5. छिंदवाड़ा	8	7474
6. धार	8	498
7. देवास	3	300
8. दमोह	3	220
9. दुर्ग	2	1145
10. पूर्वी निमार	5	3885
11. गुना	6	7196
12. झबुआ	12	6791
13. जबलपुर	1	063
14. पन्ना	3	2727
15. रीवा	4	2124
16. राजनंद गांव	6	4330
17. रायसेन	3	2325
18. राजगढ़	2	1673
19. रतलाम	1	681
20. शिवपुरी	3	2780
21. शाजापुर	2	1639
22. सिवनी	5	5424
23. शहडोल	6	8858
24. सीधी	8	10350
25. पश्चिमी निमार	11	6400
कुल	134	110863

विवरण-II

(क) मध्य प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा

1995-96			
जिले का नाम	आबंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	शुरू किए गए वाटरशेड़ परियोजनाओं की संख्या
1. बेतुल	270.00	230.69	54
2. भिंड	25.00	4.05	5
3. बस्तर**	285.00	107.25	114
4. बिलासपुर	235.00	176.03	47
5. छिंदवाड़ा	220.00	54.43	44
6. धार	195.00	62.16	39
7. देवास	85.00	21.92	17
8. दामोह	80.00	11.88	16
9. दुर्ग**	50.00	16.10	20
10. पूर्वी निमार	135.00	51.93	27
11. गुना	180.00	73.68	36
12. झबुआ	270.00	115.28	54
13. जबलपुर**	30.00	23.75	12
14. पन्ना	90.00	24.00	18

1	2	3	4
15. रेवा	90.00	23.75	18
16. राजनांदगांव**	155.00	69.00	62
17. रैसन**	85.00	28.00	34
18. राजगढ़	55.00	12.08	11
19. रतलाम	25.00	7.20	5
20. शिवपुरी	90.00	26.08	18
21. शाजापुर	55.00	35.75	11
22. सेओनी	140.00	36.74	28
23. शहडोल	180.00	75.05	36
24. सिधी	230.00	97.99	46
25. पश्चिम निमार	255.00	104.69	51
कुल	3510.0	1489.48	823

*बिलासपुर, दुर्ग, जबलपुर, राजनंदगांव एवं रायसेन जिलों में शुरू की गयी परियोजनाओं में वे अतिरिक्त परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें 1995-96 के दौरान हुई अतिरिक्त केन्द्रीय रिलीत के कारण इल जिलों में शुरू किया गया था।

(ख) मध्य प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा

वर्ष	1992-93 से 1994-95							
जिले का नाम **	आबंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	भौतिक उपलब्धियां (00'' हेक्टेयर)					
			भूमि संसाधन विकास		जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. बेतुल	543.75	463.24	28.25	16.84	0.00	0.00	26.00	26.00
2. धार	533.00	552.25	19.95	7.95	5.66	2.61	30.16	26.05
3. झबुआ	787.50	729.35	16.98	16.37	10.90	8.13	15.50	17.50
4. खरगॉन	468.75	385.89	47.10	33.62	11.30	5.46	66.72	49.14
5. सिधी	551.00	469.00	6.48	5.09	1.20	0.00	61.65	48.65
6. शहडोल	483.50	487.55	25.42	15.60	4.16	2.91	22.75	17.15
राज्य सैल		2.58						
कुल	3367.50	3089.86	144.18	95.47	33.22	19.11	222.78	184.49

पेंशन की दरों में एकरूपता लाने की मांग

1327. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1986 के पहले तथा उसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों विषेशकर श्रेणी-1 के अधिकारियों की पेंशन दरों में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 के पहले और इसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के लिए दी जा रही पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) में भी काफी अन्तर है; और

(घ) सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किए बिना पद तथा सेवाकाल के आधार पर पेंशन में एकरूपता लाने की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन): (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति करने का फार्मूला इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उनकी सेवानिवृत्ति